माननीय न्यायमूर्ति एम. एल. जे. के समक्ष

कृष्ण,-याचिकाकर्ता

बनाम

■हरियाणा राज्य और एक और,-उत्तरदाता

आपराधिक विविध 1998 का सं. 16180-M

7 जुलाई, 1999

भारतीय दंड संहिता, 1860- धारा 302/34 *और 304-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 432 और* 433-ए-भारत *का संविधान, 1950-अनुछेद 72 & 161–28 सितंबर, 1988* और *4 फरवरी, 1993 के सरकारी निर्देश-आरोपी दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा-जघन्य अपराध-सरकार ने समय से पहले रिहाई के* लिए *याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया-समय से पहले रिहाई* के *लिए आरोपी का मामला, 1993 निर्देश अनुच्छेद 2 (ए) के तहत आता है और पैरा 2 (सी) के* तहत *नहीं-28 सितंबर, 1988 के निर्देश लागू नहीं होते हैं-अभियुक्त पूर्व-परिपक्व रिहाई का हकदार नहीं है-याचिका खारिज कर दी जाती है।*

अभिनिर्धारित किया गया कि, 4 फरवरी, 1993 के निर्देश, समय से पहले रिहाई के लिए, याचिकाकर्ता के मामले को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि न्यायालय, किसी व्यक्ति को, दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद, कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है और किसी व्यक्ति को सजा सुनाए जाने के बाद, यह निर्धारित करना कार्यकारी सरकार का कर्तव्य है कि, उसे दी गई सजा को कैसे निष्पादित किया जाए। उसे दी गई सजा का निष्पादन, कार्यकारी सरकार का कार्य है। संविधान का अनुच्छेद 161 किसी भी राज्य के राज्यपाल को क्षमा करने/रोकने/राहत देने या सजा में छूट देने या किसी की सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने का अधिकार देता है, ऐसे मामले मे, जिस मामले में राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, यदि दोषी को उससे संबंधित, किसी कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। किसी भी सजा को माफ करने या माफ करने की शक्ति, सार, में एक कार्यकारी कार्य है, जिसका उपयोग, राज्य के प्रमुख द्वारा, विभिन्न मामलों पर, विचार करने के बाद किया जाता है, जो अपराध की जांच करने वाले विधि न्यायालय के समक्ष विचार के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसी तरह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 161, के साथ पठित, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत, किसी भी

व्यक्ति को सजा से मुक्त करने की शक्ति, एक कार्यकारी शक्ति है, जिसका प्रयोग सरकार द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, और यह अदालत की शक्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि इसमें दोषसिद्धि या सजा को दरकिनार करने का प्रावधान नहीं है। चूँकि छूट देने की शक्ति सरकार के प्रांत के भीतर आती है, इसलिए यह सरकार, को यह निर्धारित करना है कि, क्या छूट दी जानी है। क्षमा का आदेश न्यायालय द्वारा पारित सजा के निष्पादन को प्रभावित करता है। अतः यह सरकार को निर्धारित करना है कि सजा का निष्पादन कैसे किया जाए।

(पैरा 6)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि, समय से पहले रिहाई के लिए, याचिकाकर्ता का मामला 1993 के, पैरा 2 (ए), के निर्देशों द्वारा शासित होगा, जिसमें कहा गया है कि, वह दोषी जो एक जघन्य अपराध करने के लिए जेल में है, समय से पहले रिहाई के लिए, उसका मामला 14 साल की वास्तविक सजा की शर्त से शासित होगा, जिसमें विचाराधीन अवधि और 6 साल की छूट शामिल है। पैरा 2 (ए) में, इन निर्देशों के पैरा 2 (सी), की प्रयोज्यता को शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि पैरा 2 (सी) की भाषा से ही पता चलता है। पैरा 2 (सी) में कहा गया है कि, अपराध के समय, 18 वर्ष से कम आयु के किशोर आजीवन अपराधी, और जिनके मामले उपरोक्त पैरा 2 (ए) के तहत नहीं आते हैं, और जिन्होंने ऐसे अपराध किए हैं जिन्हें जघन्य नहीं माना जाता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि, समयपूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता का मामला, 1993 के पैरा 2 (ए) के निर्देशों को देखते हुए, विचाराधीन अवधि सहित, 14 साल की वास्तविक सजा पूरी होने के बाद, और 6 साल की छूट प्राप्त करने के बाद, विचार के लिए परिपक्व हो जाएगा।

(पैरा 7)

एस. एस. राणा, याचिकाकर्ता के वकील

डी. के. खन्ना, ए. ए. जी., हरियाणा, प्रतिवादी के लिए

निर्णय

एम. एल. सिंघल, 'जे.

(1) यह Crl. Misc. No. 16180-M of 1999, 482 CrPC, के तहत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227, के साथ पढे जाने पर, दायर की गयी है, जिसमें, कृष्ण (याचिकाकर्ता) ने, अपनी समय से पहले रिहाई के लिए प्रार्थना की है, निर्देशों,

अनुलग्नक पी.1, के आधार पर। उन्होंने आगे प्रार्थना की है कि सरकार द्वारा पारित, अनुलग्नक पी.3 और पी.4, आदेशों को रद्द कर दिया जाए।

(2) जिन तथ्यों पर उन्होंने अपना दावा किया है, वे इस प्रकार हैंः–

(3) याचिकाकर्ता को 4/6 अप्रैल, 1990 को सत्र जींद द्वारा आई. पी. सी. की धारा 302/34 और 304-बी के तहत पी. एस. कलायत, जिला जींद की 21 दिसंबर, 1988 की प्राथमिकी संख्या 370 में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी के दिन से ही वह जेल में है। उसे दोषी ठहराए जाने से पहले/बाद में, 9 साल 5 महीने और 8 दिन की सजा हो चुकी है। उन्होंने 3 साल और 8 महीने की छूट अर्जित की है। इस तरह, उसके द्वारा दी गई कुल सजा 13 साल 1 महीने और 8 दिनों की है। इस अवधि के दौरान, जेल में उनका आचरण, किसी भी जेल अपराध से मुक्त, अत्यधिक उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने अलग-अलग तारीखों पर पैरोल/फर्लो का लाभ उठाया है। इस अवधि के दौरान, वह पैरोल/फर्लो पर थे, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और बिना किसी आपत्ति के जेल लौट आए। 6 अप्रैल, 1990 को, जब उन्हें दोषी ठहराया गया था, 28 सितंबर, 1988 को, भारत के संविधान का अनुच्छेद 161, के तहत जारी किए गए सरकारी निर्देश, लागू थे। समय से पहले रिहाई के लिए उसके मामले पर सरकारी निर्देशों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए जो दोषसिद्धि के दिन लागू और लागू होते हैं। यह भी आरोप लगाया जाता है कि अपराध करने के समय वह नाबालिग था। सरकार के, पैरा 2 (बी), 28 सितंबर, 1988 के निर्देशों के अनुसार, एक किशोर आजीवन दोषी, यदि पुरुष है, तो विचाराधीन अवधि सहित, 6 साल की वास्तविक सजा से गुजरने के बाद, समय से पहले रिहाई के लिए विचार करने, का हकदार था, बशर्ते कि, छूट सहित, निरोध की ऐसी अवधि की कुल अवधि, 10 साल से कम न हो। याचिकाकर्ता पहले ही 9 साल से अधिक की वास्तविक सजा काट चुका है, और 13 साल से अधिक की सजा, छूट के साथ, प्रतिवादीगण को उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। 28 सितंबर, 1988 के निर्देशों को, 19 नवंबर, 1991 के निर्देशों, और 4 फरवरी, 1993 के, निर्देशों द्वारा, हटा दिया गया था। 4 फरवरी, 1993, अनुलग्नक पी.1, के निर्देशों के अनुसार, एक किशोर आजीवन दोषी को, विचाराधीन अवधि सहित 8 साल की वास्तविक सजा, और छूट के साथ 10 साल की सजा भुगतनी होती है। याचिकाकर्ता, 4 फरवरी, 1993 के निर्देश, अनुलग्नक पी.1 के पैरा 2 (सी), की सभी शर्तों को पूरा करता है। अपराध के समय उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी। विद्वत सत्र न्यायाधीश ने, फैसले के शीर्षक में, उनकी आयु 18 वर्ष से कम दर्ज की। आदेश अनुलग्नक पी.3 और पी.4 द्वारा, समय से पहले रिहाई

के लिए उनके मामले को अस्वीकार करना अनुचित और गैर कानूनी है।

(4) प्रतिवादीगण ने, समय से पहले रिहाई के लिए, याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करते हुए, आग्रह किया कि, वह अधिकार के रूप में समय से पहले रिहाई का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि, आजीवन कारावास का अर्थ है, दोषी के शेष जीवन के लिए सजा, जब तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत, राज्यपाल या भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा माफ नहीं किया जाता है। चूंकि उन्हें, 6 अप्रैल, 1990 को दोषी ठहराया गया था, इसलिए उनका मामला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए, के दायरे में आता है। उसे 14 साल की वास्तविक सजा से गुजरना पड़ता है, जिसमें विचाराधीन अवधि भी शामिल है, जो उसने अब तक नहीं झेली है। यह भी आग्रह किया गया कि, याचिकाकर्ता ने एक जघन्य अपराध किया, क्योंकि उसने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसका मामला निर्देशों के पैरा 2 (ए) के तहत आता है ।उसे 14 साल की वास्तविक सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, उसे, दिनांक 4 फरवरी, 1993, अनुलग्नक पी.1/आर.1 के निर्देशों, के पैरा 2 (ए), को ध्यान में रखते हुए, 6 साल की छूट अर्जित करनी होगी। यह भी आग्रह किया गया कि, समय से पहले रिहाई के लिए, याचिकाकर्ता के मामले पर, 4 फरवरी, 1993 के निर्देशों के पैरा 2 (ए) के तहत, विचार किया जा सकता है, न कि 28 सितंबर, 1988 के निर्देशों के तहत। वे निर्देश याचिकाकर्ता पर लागू होंगे जो उस समय लागू थे जब वह समय से पहले रिहाई के लिए योग्य था। वे निर्देश जो दोषसिद्धि की तारीख को लागू होते हैं, समय से पहले रिहाई के लिए उसके मामले को नियंत्रित नहीं करेंगे।

(5) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वत वकील को सुना है, हरियाणा राज्य के लिए विद्वत AAG को, और रिकॉर्ड को देखा है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि, 6 अप्रैल, 1990 को लागू निर्देश, समय से पहले रिहाई के लिए उनके मामले को नियंत्रित करेंगे। इस निवेदन के समर्थन में, उन्होंने भूपिंदर सिंह बनाम पंजाब *राज्य*[1], की *ओर मेरा* ध्यान आकर्षित किया है। दूसरी ओर, विद्वत ए. ए. जी., हरियाणा ने, प्रस्तुत किया कि, नवीनतम निर्देश, समय से पहले रिहाई के लिए, उनके मामले को नियंत्रित करेंगे, या वे निर्देश समय से पहले रिहाई के लिए उनके मामले को नियंत्रित करेंगे जो समय से पहले रिहाई के विचार के लिए योग्य होने पर लागू होते हैं।"मेरी राय में, 4 फरवरी, 1993 *के निर्देश* समय से पहले रिहाई के लिए उसके मामले को नियंत्रित करेंगे क्योंकि

[1] 1996 (1) R.C.R. 463

अदालत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद कार्यात्मक अधिकारी बन जाती है और किसी व्यक्ति को सजा सुनाए जाने के बाद, यह निर्धारित करना कार्यकारी सरकार का कर्तव्य है कि उसे सजा कैसे दी जाए निष्पादित किया जाए। उसे दी गई सजा का निष्पादन करना सरकार का कार्य है। संविधान का अनुच्छेद 161 किसी भी राज्य के राज्यपाल को क्षमा करने/रोकने/राहत देने या सजा में छूट देने या किसी की सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने का अधिकार देता है, ऐसे मामले मे, जिस मामले में राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, यदि दोषी को उससे संबंधित, किसी कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। किसी भी सजा को माफ करने या माफ करने की शक्ति, सार में, एक कार्यकारी कार्य है, जिसका उपयोग राज्य के प्रमुख द्वारा, ऐसे विभिन्न मामलों पर विचार करने के बाद किया जाता है, जो अपराध को समाप्त करने वाले विधि न्यायालय, के समक्ष विचार के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसी तरह, किसी को भी प्रेषित करने की शक्ति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161, के साथ पठित, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432, के तहत, एक कार्यकारी शक्ति है, जिसका प्रयोग सरकार द्वारा, किसी भी व्यक्ति को, दोषी ठहराए जाने के बाद, किसी भी समय किया जा सकता है, और यह अदालत की शक्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि इसमें दोषसिद्धि या सजा को दरकिनार करने का प्रावधान नहीं है। चूँकि छूट देने की शक्ति सरकार के प्रांत के भीतर आती है, इसलिइए ये सरकार के लिए है, यह निर्धारित करना है की, छूट कैसे दी जानी चाहिए। माफी का आदेश, अदालत द्वारा पारित सजा, के निष्पादन को प्रभावित करता है, इसलिए यह सरकार को निर्धारित करना है कि सजा को कैसे निष्पादित किया जाए।

(7) यह याचिकाकर्ता के लिए, विद्वत परामर्शदाता द्वारा, प्रस्तुत किया गया था कि, समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता का मामला, निर्देश, 1993 के पैरा 2 (सी) द्वारा शासित होगा, जिसमें कहा गया है कि, एक किशोर, आजीवन दोषी, 8 साल की वास्तविक सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहा होने का हकदार होगा, जिसमें विचाराधीन अवधि और छूट सहित 10 साल की कुल सजा शामिल है। विद्वत एएजी, हरियाणा, ने, दूसरी ओर, प्रस्तुत किया कि समय से पहले, रिहाई के लिए, याचिकाकर्ता का मामला, 1993 के निर्देशों, के पैरा 2 (ए), द्वारा शासित होगा क्योंकि उसे दहेज मृत्यु के लिए दोषी ठहराया गया था। समयपूर्व रिहाई के लिए, उसके मामले पर विचार, 14 साल की वास्तविक सजा पूरी करने के बाद किया जाएगा, जिसमें विचाराधीन अवधि भी शामिल है, और 6 साल की छूट अर्जित करने के बाद। विद्वत ए. ए. जी., हरियाणा द्वारा, आगे *यह* प्रस्तुत किया गया कि, याचिकाकर्ता को 4 जून, 1990 को

18 वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है, अर्थात, जब विद्वत सत्र न्यायाधीश ने, आदेश, अनुलग्नक 712, के माध्यम से, उसे दोषी ठहराया और सजा सुनाई। दहेज मृत्यु 21 दिसंबर, 1988 को हुई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपराध करने की तारीख तक, वह 18 वर्ष से कम आयु का था। इस प्रस्तुति के समर्थन में, उन्होंने स्कूल प्रमाण पत्र, अनुलग्नक पी 2 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता का मामला, 1998, के, पैरा 2 (ए) के निर्देशों द्वारा शासित होगा, जो उस दोषी को निर्धारित करता है जो दहेज के संबंध में जबरन वसूली, डकैती या बलात्कार या हत्या के लिए हत्या, बलात्कार या हत्या जैसे जघन्य अपराध करने के लिए जेल में है, समय से पहले रिहाई के लिए उसका मामला, 14 साल की वास्तविक सजा की शर्त पर शासित होगा, जिसमें विचाराधीन अवधि और 6 साल की छूट शामिल है। पैरा 2 (ए) में, इन निर्देशों के, पैरा 2 (सी) की प्रयोज्यता, को शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि पैरा 2 (सी) की भाषा से ही पता चलता है। पैरा 2 (सी) में कहा गया है कि, अपराध करने के समय, 18 वर्ष से कम आयु के किशोर, आजीवन अपराधी, और जिनके मामले उपरोक्त पैरा 2 (ए) के अंतर्गत नहीं आते हैं, और जिन्होंने ऐसे अपराध किए हैं, जिन्हें पैरा 2 (ए) में उल्लिखित जघन्य नहीं माना जाता है ,और आजीवन कारावास की, महिला दोषियों को विचाराधीन अवधि सहित, 8 वर्ष की वास्तविक सजा पूरी होने के बाद समय से पहले रिहा करने के लिए माना जाएगा, बशर्ते कि छूट सहित, ऐसी सजा की कुल अवधि 10 वर्ष से कम न हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता का मामला,
1993 के निर्देश, के पैरा 2 (ए), को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन अवधि सहित 14 साल की वास्तविक सजा पूरी होने के बाद और 6 साल की छूट अर्जित करने के बाद विचार के लिए परिपक्व हो जाएगा।

(8) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, यह सी. आर. एल. विविध; याचिका विफल है ओर खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram,

हरियाणा